तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अमरसिंह बनाम उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ** **अपील संख्या 405/2017(जीसीएमएस नम्बर 2017/00336)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
22.02.22	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अपीलान्ट्स वादग्रस्त आराजी की रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ जिला झुन्झुनू द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.09.2017 पारित करने से पूर्व अपीलान्ट्स को किसी प्रकार का नोटिस अथवा सुनवाई का अवसर नही दिया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.09.2017 न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से निर्णय को उचित नही ठहराया जा सकता। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.09.2017 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ जिला झुन्झुनू का इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रंकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। (दिनेश कुमार यादव) संभागीय आयुक्त जयपुर। संभागीय आयुक्त जयपुर	